संशोधित

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2830 /15–1, दिनांक, झांसी, मार्च, 04 2020

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, भवन विंग,
लोक निर्माण विभाग, झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के कि0मी0 संख्या–3 से 11 तक झांसी–हसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/86/2018/एफ0सी0/569, दिनांक 20.02.2020 एवं प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/39827/2019 एवं इस कार्यालय का पत्र संख्या–2791/15–1, दि0 29.02.2020 से संशोधित।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के कि0मी0 संख्या–3 से 11 तक झांसी–हंसारी–खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान की गयी है। अतः आप निम्न शर्तो के अनुपालन में मूल आख्या पांच प्रतियो में प्रस्तुत करे, जिससे प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके :–

शर्त संख्या–01 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–02 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि क्षेत्रफल 29.60 हे0 से अधिक वन भूमि पर वन स्थापित करने हेतु ग्राम सिमराहा में वन ब्लाक के कम्पार्टमेन्ट संख्या–21 (भाग में), तहसील व जिला झांसी में अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (निर्माण खण्ड भवन विंग) झांसी के व्यय पर वृक्षारोपण में स्थानीय एवं मिश्रण प्रजातियों का चयन कर रोपण करने हेतु, जिसमें किसी भी प्रजाति के मोनो कल्चर के लिये इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–03 एवं 04 तथा 23 – के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्न प्रकार आवश्यक धनराशि कैम्पा, नई दिल्ली के खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से मदवार जमा भुगतान करना सुनिश्चित करें।

| शर्त संख्या | मद | धनराशि(लाख में) |
|---|---|---|
| शर्त सं0–3 | वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (दोगुने क्षेत्रफल 29.60 हे0 में) एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि | 6763343.00 |
| शर्त सं0–4 | शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि | 9264800.00 |
| शर्त सं0–23 | वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ, की स्थिति में और MoEF और C.C. दिशा निर्देश एफ0एन0ओ0 के अनुसार शासनादेश सं0–11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के आधार पर दण्डात्मक देय कुल धनराशि | 521032.00 |
| | कुल योग | 16549175.00 |

**(मु0 एक करोड़ पैसठ लाख उनन्चास हजार एक सौ पचहत्तर रू0 मात्र)**

नोट–मदवार बिन्दुवार निर्धारित धनराशि कैंम्पा नई दिल्ली के खाते में जमा की जायेगी।

Letter_Van

शर्त संख्या–05 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेष समिति रिपोर्ट मिलने व मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा वन भूमि पर दिये जाने वाली शुद्ध बर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि में कोई बढ़ोत्तर की जाती है, तब राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा उस बड़ी हुई धनराशि को प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0वि0, भवन विंग, झांसी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–06 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में आवश्यकतानुसार कम से कम पेड़ों को काटा जायेगा तथा पेड़ों का कटान वन विभाग की पूर्ण निगरानी एवं दिशा निर्देशन में उ0प्र0 वन निगम द्वारा कराया जायेगा। पेड़ कटान का मूल्य उपभोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग में जमा किया जायेगा, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–07 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के तहत प्रस्ताव में प्राप्त सभी धनराशि केवल ई पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में हस्तांतरित जमा की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–08 – उपभोक्ता ऐजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर उपलब्ध भूमि एवं मार्ग के बीच में (Central Verge) पर वृक्षारोपण अपने व्यय पर कराया जायेगा। इस आशय की वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–09 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में/वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साईनेज लगाये जायेगे। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–10 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी0डब्ल्यू0/एल0डब्ल्यू0/एफ0सी0सी0/आर0ई0सी0 की सिफारशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर/ओवर पास प्रदान करेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–11 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगी। पर्यावरण अधिकार अधिनियम 1986 के भारत सरकार/राज्य सरकार के मागने पर अनापत्ति प्रमाण प्रस्तुत करेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–12 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रस्ताव में प्रस्तुत ले आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–13 – प्रयोक्ता अभिकरण, लो0नि0 विभाग, झांसी द्वारा (प्रस्तावित संरक्षित) वन भूमि पर कोई श्रम शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

शर्त संख्या–14 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने कार्यरत श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में जलौनी लकड़ी (Fire wood), यथा सम्भव अन्य वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा। जलौनी लकड़ी वन निगम के माध्यम से तथा अन्य वैकल्पिक ईंधन अन्य किसी वैधानिक श्रोत से क्रय करनी होगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–15 – प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0 विभाग झांसी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के निर्देशानुसार विस्थापित वन भूमि की सीमा का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर उक्त भूमि पर सीमा स्तम्भों से सीमांकन किया जायेगा, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–16 – प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0 विभाग, झांसी द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के निर्माण के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–17 – प्रश्नगत परियोजना में वर्तमान स्वीकृति की अवधि, उतनी होगी जो इस परियोजना में स्वीकृत लीज अवधि हो, अथवा परियोजना की अवधि हो, में से जो भी कम हो। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–18 – प्रयोक्ता अभिकरण परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिये वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–19 – प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में भारत सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना किसी भी अन्य ऐजेन्सी या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–20 – प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0 विभाग, भवन विंग, झांसी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित मार्ग के प्रमाण पत्र में आर0ओ0/मार्ग किसी भी मौजूदा आर0ओ0/मार्ग के निकट निकटता में नहीं है, जो Morth के दिशा निर्देश दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रदान किया जाना है। इस आशय का प्रमाण/वचनबद्धता तैयार कर प्रस्तुत करें, जिस पर संयुक्त रूप से अनुपलना हेतु हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तुत किया जायेगा।

शर्त संख्या–21 – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस योजना में प्रस्तावित वन भूमि में काटे जाने वाले वृक्षों को यथा सम्भव स्थानान्तरित करने (ट्रान्सलोकेशन) की सम्भावनाओं पर विचार कर यथा सम्भव पेड़ों का स्थानान्तरण किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–22 – प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी से सम्बन्धित है।

शर्त संख्या–23 – प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0 विभाग, भवन विंग, झांसी द्वारा इनमें से किसी भी स्थिति का उल्लंघन करने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर भारत सरकार की गाईड लाइन शासनादेश संख्या–11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही पर निर्धारित दण्डात्मक धनराशि जमा की जायेगी, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न करें।

शर्त संख्या–24 – प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0 विभाग, भवन विंग, झांसी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसी भी अन्य स्थिति में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, संरक्षण और विकास के हित में समय–समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नियम कानून निर्धारण करने पर, प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जायेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या–25 – प्रयोक्ता अभिकरण/लो0नि0 विभाग, भवन विंग, झांसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (*https://parivesh.nic.in*) पर अपलोड की जायेगी, इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

**पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक**

**प्रतिलिपि :–** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि :–** वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी